www.urbantippingpoint.org

शहरी संघर्ष के शीर्ष बिन्दुओं पर समझः विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन, हिंसा और शहर

पटना का उद्धरण, भारत

नीतिगत ब्योरा

1.0 वैचारिक ढ़ाॅचा

नगर स्वाभाविक तौर पर संघर्षपूर्ण स्थान हैं जहां, बेमेल हितों वाले विविध और अनगिनत लोग एक नियंत्रित माहौल में रहते हैं। प्रायः ऐसे संघर्ष, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक तंत्र के द्वारा शान्तिपूर्वक निपटा दिए जाते हैं, लेकिन कभी कभार इन तंत्रो से सहयोग न मिलने या कमज़ोर होने पर ऐसे संघर्ष हिंसा उत्पन्न कर सकते हैं। शहरी हिंसा के विकास के दस्तावेज मोटे तौर पर इस विचार को उत्पन्न करते हैं कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसे कुछ खास तथ्यों या तथ्यों के समूह से जोड़ा जा सकता है। हाल के वर्षो में, शहरी हिंसा के लिए, शहरों का तेजी से विकास, शहरों में गरीबी का स्तर, युवा वर्ग की उत्तेजना, राजनीतिक टाल–मटोल और लिंग आधारित असुरक्षा, इन सबों को सामूहिक तौर पर विस्तृत रूप से जोड़ा गया है।

रोजमर्रे के स्वाभाविक संघर्ष के हिंसक हो जाने की प्रक्रिया के लिए जो तथ्य जिम्मेवार हो सकते हैं (या नही हो सकतें हैं), उनसे जुड़े कारण संबंधी तंत्र पर आधारित शोध की बेहद कमी है। संक्रमण के इस दौर की समझ निश्चित रूप से बेहद महत्वपूर्ण है और इस शोध परियोजना का उ़द्देश्य और केन्द्र बिन्दु है। हम उस क्षण को ''चरम बिन्दु'' के तौर पर समझते हैं जब एक प्रभावकारी आंदोलन, संघर्ष से हिंसा की ओर बढ़ जाता है। इस धारणा की उत्पत्ति 1950 के आस–पास की है, लेकिन अपने सबसे बुनियादी स्तर पर यह विचार उत्पन्न होता है कि कुछ असामान्य सामाजिक प्रवृतियां, आश्चर्यजनक रूप से बदल सकती हैं। इसका संबंध ऐसी परिस्थितियों से है जिससे कोई सामाजिक प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण होने के बजाय तेजी से होती है। इस प्रकार चरमबिन्दु, स्वाभाविक तौर पर एक अस्थायी आयाम को मूर्त रूप देता है और यह हिंसा में कमी और बढ़ोतरी दोनो पर लागू हो सकता है। हम एक ऐसी प्रक्रिया को निर्दिष्ट करते हैं जिसमें आम हिंसा की अवस्था, कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करती है, जो वापस संगठित संघर्ष में बदल जाती है। यही शहरी संघर्ष के चरम बिन्दु के समाधान को दिखाती हैं।

1.1 उदाहरण के तौर पर पटना का अध्ययनः

गरीबी और हिंसा के साथ अपने दोहरे संबंध के कारण, भारत के सबसे पुराने शहर पटना को इस अध्ययन के लिए चुना गया। पटना (जिसकी आवादी 10–15 लाख है) को गरीब शहरों की श्रेणी में द्वितीय स्थान पर आंका गया है जहॉ प्रति व्यक्ति आय का स्तर सबसे कम है (बिहार सरकार 2011)। इसके अतिरिक्त बिहार हिंसा के उच्च स्तर के लिए जाना जाता है, जिसके माओवादी अराजकता, डकैती, सांप्रदायिकता और जातीय हिंसा समेत कई रूप हैं। हत्याओं के आधार पर बिहार, भारत का दूसरा सबसे हिंसक राज्य माना जाता है और 1990 से 2000 के बीच पटना सर्वाधिक असुरक्षित शहर के रूप में कुख्यात था। कुछ हद तक इसे भारत का ''अपराध की राजधानी'' भी कहा जाता था। हालांकि 2005 से सुधारवादी राजनीतिज्ञ नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद से बिहार में व्यापक तौर पर बदलाव हुए हैं जिसे कभी–कभी चमत्कार भी कहा जाता है, वहीं हिंसा के स्तर में भारी कमी आयी है और राज्य एक सुव्यवस्थित विकास के पथ पर अग्रसर है, जिसमें उच्च आर्थिक विकास और ढ़ाचागत सुधार भी शामिल है। अपने अतीत के विपरीत पटना इन दिनों एक शान्तिपूर्ण और सुरक्षित शहर माना जाता है, यह

इसी तथ्य का प्रतीक है। पटना, शहरी संघर्ष के चरम बिन्दु के वास्तविकता के प्रतिकूल एक उदाहरण है, जो एक विचार देता है कि किस प्रकार भीषण शहरी हिंसा एक संगठित संघर्ष में बदल सकता है तथा व्यापक तौर पर प्रदर्शित कर सकता है कि वैचारिक तौर पर सिद्धान्तों के अनुमान और उसकी व्याख्या की अवधारणा की समस्याओं को कम करने में किस प्रकार मदद मिल सकती है।

2.0 शोध–विधि

यह शोध मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलेमेंट के संयुक्त टीम के सदस्य डेनिस रोजर्स, शिवानी सतीजा, बालेन्दु शेखर मंगलमूर्ति, सागरिका चौधरी और अलख नारायण शर्मा के द्वारा, अप्रैल से जुलाई 2011, के बीच तीन चरणों में किया गया। इस शोध के प्रथम चरण में हिंसा और अपराध के पटना के द्वितीयक आंकड़े, जो नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो, पटना पुलिस, पटना नगर निगम और मीडिया के हिंसा और अपराध के रिपोर्ट के सर्वेक्षण समेत, कई स्रोतों से एकत्रित किए गए। ये आंकड़े बताते हैं कि हिंसा में चमत्कारिक कमी के विपरीत बिहार और पटना में 2005 के बाद अपराध दर बढ़ा है।

साथ ही साथ आंकड़े हिंसक और अहिंसक अपराध के अस्थिर प्रवृति को भी इंगित करते हैं। 2005 के बाद से जहॉ हत्या, अपहरण, डकैती जैसे हिंसक अपराधों में कमी आई है वहीं ठगी और चोरी जैसे अपराधों में वृद्धि हुई है। स्थानीय पुलिस थानों से एकत्रित किए गए अपराध के आंकड़े, स्थानीय स्तर पर शहर में अस्थिर स्थानीय अपराध के चलन को ही दर्शाते हैं। इसके कई कारण जिम्मेवार हैं, जिसमे पटना शहर में अलग–अलग धर्म और जाति के लोंगो का असमान वितरण, शहर का असमान और कमजोर बुनियादी ढ़ॉचा, शहर का आर्थिक विकास तथा निजी सम्पत्ति का विकास, हिन्दू–मुस्लिम तनाव और बढ़ता शहरी–ग्रामीण पलायन शामिल है।

शोध का दूसरा चरण, प्राथमिक आंकड़ा से संबंधित है, जिसे शोध क्षेत्र में कठिन परिश्रम से हासिल किया गया है। आमतौर से शहर की परिस्थितियों का आंशिक तौर पर प्रतिनिधित्व करने वाले तीन क्षेत्रों को कई श्रेणी के सामाजिक आर्थिक सूचकांक, उनके अस्थिर अपराध के प्रचलन और मीडिया रिसर्च के द्वारा ज्ञात तथ्यों के आधार पर किया गया। ये क्षेत्र वार्ड संख्या 26, 51 और 69 (देखें मानचित्र 1) हैं। इनमे से प्रत्येक में एक या दो झुग्गी बस्ती को चुना गया। पटना की 72 फीसदी आबादी उन इलाकों में निवास करती है, जिनकी पहचान झुग्गी क्षेत्र विकास, पुनर्निर्माण या पुनर्वास (बिहार सरकार 2006:32) के तौर पर की गई है और संघर्ष, हिंसा तथा गरीबी के बीच संबंध रखने की पड़ताल की अनुमति दी गई है।

वार्ड संख्या 26 में दो झुग्गी बस्तियॉ, बुद्धा कॉलोनी थाने के आगे बस्ती और उत्तर मंदीरी बस्ती जिसमे क्रमशः 12 और 42 घर हैं, को चुना गया। वार्ड संख्या 51 में न्यू अंबेदकर नगर क्षेत्र (संदलपुर) को चुना गया जिसमें तीन झुग्गी बस्तियॉ हैः न्यू अंबेदकर कॉलोनी, मुसहरटोली बस्ती और डोमखाना झुग्गी और इनमे क्रमशः 303, 17 और 14 घर हैं। अन्ततः वार्ड संख्या 69 में मंसूरगंज मुसहरटोली झुग्गी को चुना गया जिसमें 100 घर हैं।

झुग्गी बस्तियों की वास्तविक अवस्था को जानने, उनकी मुख्य समस्याओं को समझने, सवाल पूछने और बातचीत के लिए सही लोगों को ढूंढ़ने के लिए पैदल यात्रा की गई। सवाल पूछने और बातचीत के लिए झुग्गी वासियों के साथ सामूहिक चर्चा और एकाकी साक्षात्कार को आधार बनाया गया। इस क्रम में स्थानीय पार्षद, गैर सरकारी संगठन के कार्यकर्ता, पुरोहितों, इमामों और पुलिस अधिकारियों का भी साक्षात्कार किया गया। इस केन्द्रित सामूहिक बहस का मुख्य उद्धेश्य पटना में स्थानीय स्तर पर संघर्ष के मुख्य स्रोतों और हिंसा की प्रवृतियों के बीच के संबंध का अध्ययन था। प्रत्येक झुग्गी बस्ती में मिश्रित समूहों और अलग–अलग हित वाले समूहों (उदाहरण के तौर पर महिलाओं, युवाओं, स्थानीय स्तर पर महत्वपुर्ण जमीन मालिकों, अनुसूचित जाति और मुसलमानों) तथा स्थानीय स्तर पर प्रमुख

मानचित्र 1

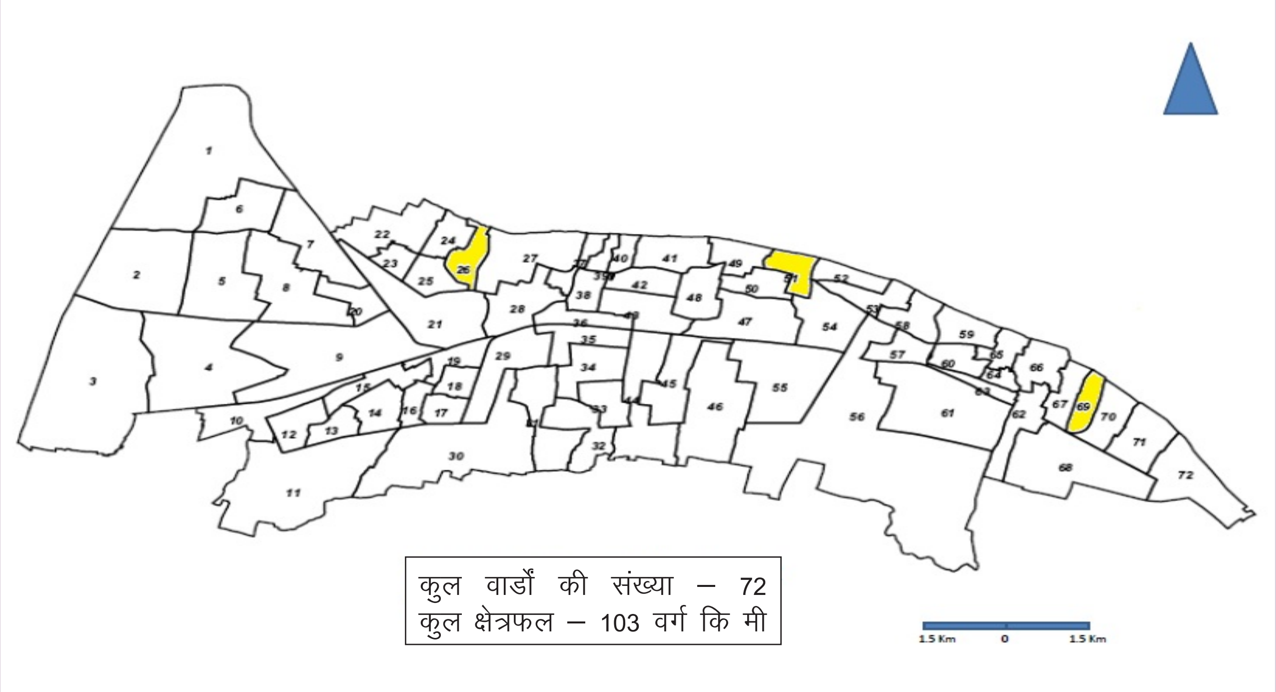

स्रोत; डी एस आई डी इंडिया (पटना ऑफिस)

ब्यक्तियों (जमीन मालिक, स्कूल शिक्षक इत्यादि) के साथ महत्वपूर्ण बिदुंओं पर बहस की गई।

शोध के तीसरे चरण में जनगणना को आधार बना कर चार झुग्गी बस्तियों के 771 घरों को शामिल किया गया। इनमे से 68 प्रतिशत घरों (664) का सफलता पूर्वक सर्वेक्षण किया गया और इसके नमूने कुल मिलाकर इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। सर्वेक्षण मुख्यतः संघर्ष और हिंसा पर केंद्रित था लेकिन, इसमें घरों के सामाजिक–आर्थिक स्थिति से जुड़े प्रश्न भी पूछे गए। इस संदर्भ में चारों झुग्गी बस्तियों की कुल आबादी 4300 थी और एक घर में औसतन 5–6 व्यक्ति थे। सर्वेक्षण के दौरान 90 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों ने बताया कि वे अपनी झुग्गी में 10 साल से अधिक समय से रह रहे हैं। झुग्गियों में 52 प्रतिशत पुरूष और 48 प्रतिशत महिलाएं थी। इनमें 70 प्रतिशत से ज्यादा 30 वर्ष से कम आयु के थे, 15 से 29 वर्ष के भीतर यानि युवा वर्ग के लोग इस आबादी के 30 प्रतिशत थे। इन झुग्गियों में निवास करने वाले 80 प्रतिशत लोग अनुसूचित जाति के, 11 प्रतिशत पिछड़े वर्ग के और 5 प्रतिशत सवर्ण थे। इन घरों में लगभग 80 प्रतिशत लोग हिन्दू थे और 20 प्रतिशत मुसलमान। शिक्षा के संदर्भ में उनका कहना था कि 80 प्रतिशत घरों के पुरूष सदस्यों ने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी कर ली थी, जबकि 48 फीसदी घरों की महिलाएं निरक्षर थी और कभी स्कूल नहीं गई। इनमें काम करते 80 प्रतिशत लोग अकुशल श्रमिक हैं और विभिन्न प्रकार के काम के 60 प्रतिशत पेशे से जुड़े हुए हैं। इनमें से ज्यादातर घरों की आमदनी 250–5000 रू है, यद्यपि झुग्गियों के बीच आमदनी में अनिश्चितता है। 59 प्रतिशत घरों का नालों तक पहुंच नही है और 22 प्रतिशत घरों के लोग शौच के लिए खुले स्थानों का उपयोग करते हैं।

3.0 शोध के मुख्य निष्कर्ष

झुग्गी बस्तियों के अध्ययन में अलग–अलग गुण और प्रचलन सामने आए लेकिन हिंसा के मामले में एक सामान्य प्रचलन दिखा। 2005 में नीतीश कुमार के सत्ता में आने पर यह आंका गया कि 88 प्रतिशत घरों के माहौल में बदलाव आया है और यहां हिंसा में कमी आई है। यह पटना के हिंसा के इतिहास में नया बदलाव माना गया। इसी क्रम में, सर्वेक्षण के दौरान, 76 प्रतिशत लोगों ने बताया कि झुग्गी बस्तियों में उपद्रव और हिंसा उनके दैनिक जीवन में प्रमुखता से शामिल है। इस विरोधाभास की

व्याख्या इस तथ्य के आधार पर की जा सकती है कि पटना में हिंसक अपराधों में कमी मजबूत पुलिस व्यवस्था का परिणाम है जिसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनो पहलू है।

शराब माफियाओं और संगठित अपराध समूहों पर नियंत्रण कर नीतीश सरकार गर्व से अपने किए गए प्रयासों को अपनी उपलब्धियों में गिना सकती है, जिसमें अपराध और अपराधीयों को लक्ष्य बनाकर चलाए गए अभियान शामील हैं। इसके तहत ''फास्ट ट्रैक'' सुनवाई की शुरूआत, पुलिस के अधिकार और संसाधनों में वृद्धि की गई, जिससे जुआ को प्रोत्साहित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई, उनकी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करना, शराब उत्पादन और बिक्री के लिए उदार नीति बनाना शामील है।

सामूहिक चर्चा और साक्षात्कार के दौरान उदार मद्य नीति को लेकर एक अवांछित तथ्य सामने आया है कि उदार मद्य नीति की वजह से बड़ी संख्या में शराब की दुकानें खुली हैं, झुग्गियों में मद्यपान का स्तर बढ़ गया है, इससे हिंसा और महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा में बढ़ोतरी हुई है। सर्वेक्षण के दौरान 75 प्रतिशत लोंगों ने यह माना कि हिंसा की मुख्य शिकार महिलाएं हुई हैं, वहीं 57 प्रतिशत लोगों ने माना कि शराबखोरी इस हिंसा की मुख्य वजह है। इन झुग्गी बस्तियों में घरेलू हिंसा बरकरार है, उस संगठित अपराध के विपरीत, जो अतीत में स्थानीय स्तर पर शहर के अधिकांस हिस्से में फैला हुआ था तथा शहर के मध्य और उच्च वर्ग समेत ज्यादातर आबादी को प्रभावित करता था। यह स्पष्ट रूप से पुलिस के कार्यों के उस तथ्य को साफ करतें हैं कि शराब पीने के बाद दुर्व्यवहार और घरेलू हिंसा के मामले में पुलिस तब तक दखल नहीं देती, जबतक कि ये मामले झुग्गी बस्तियों के बाहर न हों। (इस सदर्भ में महिलाओं ने व्यापक तौर पर यह बताया कि स्थानीय पुलिस चौकियों में महिला पुलिस कर्मियों की कमी की वजह से, वे घरेलू हिंसा के मामलों की रपट दर्ज करवाने के लिए थाने में जाने से कतराती हैं।) युवाओं के मामले में भी पुलिस का अस्थिर व्यवहार सामने आया है, जिनका आरोप है कि उन्हें कभी भी रोक कर तलाशी ली जाती है या उत्पीड़ित किया जाता है या सड़क अथवा किसी चारदीवारी के पास दो–तीन युवाओं के खड़े होने पर भी उन्हें खदेड़ा जाता है। झुग्गी बस्तियों में हिंसा के अध्ययन के क्रम में हिंसा के दो और प्रकार के मामलों में पुलिस के जबरदस्ती निशाना बनाने की प्रवृत्ति सामने आई है। झुग्गी बस्तियों में हिंसा की एक और वजह उनकी जमीन के मियाद की असुरक्षा और दूसरी तरफ निजी बिल्डरों के द्वारा उनकी जमीन पर कब्जा करने का खतरा भी है। इस तरह के संघर्ष में प्रायः हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। गौरतलब है कि ऐसी हिंसा प्रायः एक तरफा होती है जो जमीन मालिकों या बिल्डरों की तरफ से या उनके द्वारा भेजे गए असमाजिक तत्वों की ओर से होती है। आमतौर पर ऐसी हिंसा में पुलिस का दखल नहीं देखा गया।

फोटो 1ः प्रोपर्टी डेवलपर्स के द्वारा घेराबंदी की गई बुद्धा कॉलोनी झुग्गी, फरवरी 2012

दूसरी तरफ पुलिस झुग्गियों में हिंसा के दूसरे मामलों में त्वरित कारवाई करती दिखती है, जो आमतौर पर पानी और शौचालयों को लेकर होती है। जबकि सभी झुग्गी बस्तियों में इनकी उपलब्धता अपर्याप्त है क्योंकि या तो वहां ये सुविधाएं प्रदान ही नहीं की गई, या ये सुविधाएं बाधित हैं अथवा इनपर किसी दल विशेष ने कब्जा कर रखा है।पुलिस ने जिस तरह से इस समस्या से निपटने की कोशिश की उसके कई तरीके थे, झुग्गी बस्तियों की महिलाओं को अनौपचारिक तौर पर पुलिस स्टेशन के भीतर मौजूद नलकूपों से पानी लेने देना, पानी के दूसरे स्त्रोतों और उपयोग मे ला सकने योग्य शौचालयों पर निगरानी रखना। पुलिस ने यह पहल इसलिए भी

की क्योंकि इन मुद्दों को लेकर होने वाला विरोध बहुत जल्द जातीय या सांप्रदायिक रूप ले सकता था और इससे उत्पन्न हिंसा, झुग्गी बस्तियों के बाहर फैल जाने का अंदेशा था।

इस क्रम में सन् 2005 से पटना पुलिस का रवैया बहुत हद तक संघर्ष को टालने वाला था, जिस संघर्ष के अन्यथा झुग्गी बस्तियों के बाहर फैल जाने की आशंका थी। लेकिन हिंसा की इस स्थिति को जड़ से मिटाने की पहल नहीं की गई। एक साक्षात्कार के दौरान पटना निवासी ने याद करते हुए बताया ''1990 के दशक में पटना में जंगल राज हुआ करता था जो अब दारोगा राज में बदल गया है। यद्यपि शहर में हिंसा के मामले में मोटे तौर पर यह तथ्य लागू हो सकता है लेकिन झुग्गियों के स्तर पर, लक्षित पुलिसिया रवैया ने संघर्ष और हिंसा के कुछ रूपों को तीव्र किया है। यद्यपि 2005 से पटना में हत्या, डकैती और अपहरण जैसे संगीन वारदातों में निश्चित तौर पर कमी आई है, लेकिन अतीत के उलट, खासतौर से झुग्गियों में, घरेलू हिंसा और दूसरी तरह की छुपी हुई हिंसा और उपद्रव के मामलों में और बढ़ोत्तरी हुई है।

फोटो 2: मंसूरगंज मुसहरटोली में बेहाल जनसुविधाएँ, मई 2011

आजकल पटना उच्चवर्ग के लोगों के लिए एक सुरक्षित जगह माना जाता है लेकिन इससे शहरी संघर्ष के चरम बिन्दुओं का अंत हो गया है, ऐसा मानना गलत है, क्योंकि वास्तविकता मे सिर्फ शहरी हिंसा के तरीके में ही बदलाव आया है।

एक मौलिक प्रश्न जो यहां उठता है कि शहर की वर्तमान परिस्थितियां कितना अनुकूल हैं और इस दृष्टि से देखने पर सबसे अधिक गौर करने की बात है कि समकालीन पटना को प्रभावित करने वाली संघर्ष और हिंसा की समस्याएं अब भी बरकरार हैं तथा उनका समुचित निदान नहीं हुआ है। निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि शहर को प्रभावित करने वाली हिंसा की वर्तमान परिस्थितियां अकुशल प्रशासन से जुड़ी है, जो पुलिसिया रवैये की सीमित परिपाटी में साफ दिखता है।

4-0 नीतिगत सुझाव

शोध परियोजना के तथ्यों के आधार पर कई प्रकार के नीतिगत प्रस्ताव दिए जा सकते हैं। ये प्रस्ताव बेहद केंद्रित या सामान्य राय हो सकते हैं अथवा बहुत व्यवहारिक या रणनीतिक हो सकते हैं। इनमे से कुछ अपेक्षाकृत बेहद खर्चीला हो सकता है और इस वजह से और कुछ हद तक राजनीतिक स्वार्थ की वजह से, इनके लागू किए जा सकने की संभावना कम हो सकती है। नीचे दिए गए टेबल–1, छः मुख्य नीतिगत प्रस्तावों को दर्शाते हैं, जो इस शोध से निकाले गए हैं, उन्हें होने वाले खर्च के बढ़ते और राजनीतिक इच्छाशक्ति के अनुसार घटते क्रम में दिखाया है।

पहला सुझाव, पुलिस स्टेशनों में लगे नलकूपों को झुग्गी बस्तियों की महिलाओं के द्वारा उपयोग में लाए जाने को वैधानिक रूप देना, यह सिर्फ उस प्रयास को बढ़ावा देना भर है जो शहर के कुछ पुलिस चौकियों में पहले से ही अमल में है। इनमे बुद्धा कॉलोनी और महालक्ष्मी पुलिस चौकी शामिल है। हमारे शोध के क्षेत्र बुद्धा कॉलोनी और मंसूरगंज झुग्गी बस्तियों में, सामूहिक चर्चा में भाग लेने वाली महिलाओं ने पुलिस चौकियों में, नलकूपों और शौचालयों के इस्तेमाल के माहौल को सुरक्षित बताया। यह अमल में लाए जाने योग्य एक बेहद व्यवहारिक और कम खर्चीला उपाय है। यद्यपि इससे पुलिस चौकी के पास की झुग्गी बस्तियों के सिर्फ महिलाओं को ही लाभ हो सकता है और कुछ हद तक यह सुरक्षा का एक ऐसा तरीका है, जिससे झुग्गियों के भीतर मौजूद लैंगिक असुरक्षा को नहीं मिटाया जा सकता, जो इसका एक लक्ष्य है।

दूसरा सुझाव जो सीधे तौर पर घरेलू हिंसा को प्रभावित करने में सक्षम है और झुग्गी

टेबल 1

	नीतिगत सुझाव	लागत	राजनीतिक दृष्टि से लागू हो सकने की संभावनाएं
1.	पुलिस चौकियों में लगे नलकूपों को झुग्गी बस्तियों में रहने वाली महिलाओं के प्रयोग में लाने को संस्थागत करना।	कम	उच्च
2.	शराब के उत्पादन और बिक्री को नियंत्रित करना और इस पर लगे कर को समय–समय पर बढ़ाना।	कम	उच्च
3.	महिला पुलिस अधिकारियों की एक इकाई गठित करना, जो कमवार तरीके से झुग्गियों में गश्ती कर सके।	मध्यम	उच्च
4.	ढ़ॉचागत विकास (अ)झुग्गियों में अधिक संख्या में शौचालयों और जल के साधनों की व्यवस्था (लेकिन इसके सुचारू ढ़ंग से काम करने और समय–समय इसकी जांच–पड़ताल की व्यवस्था के साथ–साथ किसी दल विशेष द्वारा इन संसाधनों के अवैध कब्जे पर रोक) (ब)शहर के विकास की बेहतर योजना (भागीदारी योजना की शुरूआत, जिसमें शहर के सामुदायिक भवनों में राज्य के अधिकारियों के द्वारा जानकारी प्रदान करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन हो)	उच्च उच्च	संभव संभव
5.	हिंसा के स्तर को कम करने के लिए सतही स्तर पर प्रयास करने की जगह कारगर रणनीति बने	उच्च	कम संभावना
6.	जमीन के मालिकाना हक और लीज की अवधि को बेहतर तरीके से नियमित करना	उच्चतर	कम संभव

बस्तियों में हमारे शोध के दौरान ज्यादातर पुरूषों और महिलाओं ने भी माना कि शराब के उत्पादन और खरीद–बिक्री को नियमित किया जाय और इस पर लगे कर को समय–समय पर बढ़ाया जाय। सारी दुनिया ऐसे ढ़ेर सारे उदाहरण मौजूद है कि शराबबंदी से कामयाबी नहीं मिलती, लेकिन शराब के उत्पादन और बिक्री पर नियंत्रण के साथ–साथ शराब की उंची कीमत, शराब के उपयोग को कम करता है। यह नीतीश कुमार जी के कहे हुए लक्ष्य के अनुकूल है कि ''अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शराब की कीमत बढ़नी चाहिए ताकि मुश्किल से अपने परिवारों को पाल सकने वाले गरीब की आमदनी शराब में बर्बाद न हों''।

लिंग आधारित असुरक्षा के माहौल को बेहतर बनाने के लिए एक और सार्थक प्रयास किया जा सकता है – महिला अधिकारियों की एक इकाई की नियुक्ति और झुग्गी बस्तियों में इनकी क्रमवार तरीके से गश्ती। यद्यपि वैधानिक तौर पर पटना के हर पुलिस चौकी में महिलाओं के मामलों के लिए, एक महिला अधिकारी का होना जरूरी है, लेकिन पुलिस के संगठनात्मक संस्कृति और धन–बल के अभाव के कारण ऐसा शायद ही हो पाता है। सामूहिक चर्चा और साक्षात्कार के दौरान झुग्गी में रहने वाली महिलाओं ने, पुलिस चौकियों में, महिला कर्मचारियों की कमी को, घरेलू हिंसा की शिकायत थाने में नहीं करने की वजह बताया। महिला पुलिस कर्मियों की नियुक्ति और झुग्गी बस्तियों में उनकी गश्ती तथा महिला पुलिस कर्मियों तक उनकी पहुँच कम खर्चीला और व्यवहारिक उपाय है। वास्तव में यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिसको पटना पुलिस ने भी सराहा है।

ढ़ॉचागत अभाव सभी झुग्गी बस्तियों में संघर्ष की मुख्य वजह बनकर सामने आई है। एक तरफ शौचालयों और पानी के स्रोतों की कमी इसके कारण हैं तो दूसरी तरफ इन संसाधनों की जीर्ण–शीर्ण अवस्था में होने अथवा किसी व्यक्ति

या समूह द्वारा इनपर कब्जा करके, दूसरों को उपयोग न करने देना भी संघर्ष का मुख्य कारण है। बुनियादी स्तर पर झुग्गियों में शौचालयों और जल स्रोंतो की संख्या बढ़ाकर, नियमित रूप से इनकी निगरानी रखकर, किसी व्यक्ति या समूह विशेष के द्वारा कब्जे को रोककर परिस्थितियों को बेहतर किया जा सकता है। यद्यपि झुग्गीवासियों और प्रशासन के बीच भागीदारी की एक विस्तृत योजना की शुरूआत एक बेहतर और स्थायी समाधान हो सकता है, जो झुग्गी बासियों को यह सांत्वना दे सकता है कि उनकी जरूरतों को प्राथमिकता दी जा रही है। लेकिन उन्हे भी योजनाओं के कार्यान्वयन में, उनकी जिम्मेवारियों को निभाने की अनुमति दी जाय।

ब्राजील में ऐसे प्रयासों की पहल ने दिखाया है कि इस प्रकार के सुधारों को संस्थागत रूप देने के लिए किसी राज्य को न सिर्फ पहल करना होता है, बल्कि ढ़ॉचागत सुधार भी करना होता है। उदाहरण के तौर पर झुग्गी बस्तियों में सामुदायिक भवन के निर्माण से न सिर्फ आपसी विचार–विमर्श के लिए, बल्कि नागरिक जागरूकता कार्यक्रमों और झुग्गी वासियों के अधिकारों की जानकारी देने के लिए एक बेहतर जगह मिलती है। नगर निगम कर्मचारियों के झुग्गी वासियों के प्रति बेहतर कर्तव्य बोध भी जरूरी है (देखें लोप्स डे सूजा 2001)। इन सबके लिए निवेश और राजनीतिक समर्पण दोनो आवश्यक है तथा ब्राजील के उदाहरण से यह स्पष्ट है कि इस निवेश के दूरगामी परिणाम मिलते हैं (एबर्स, 1998)।

अगला नीतिगत सुझाव है कि हिंसा को रोकने के लिए सतही स्तर पर प्रयास करने के बजाय एक कारगर रणनीति बनाई जाय। इस तथ्य में ध्यान देने योग्य बात यह है कि हिंसा में अपेक्षित कमी तभी आ सकती है जब प्रशासन की भागीदारी शहर के हर तबके के विकास में हो न कि समूह विशेष पर केन्द्रित हो। यह शहर के राजनीतिक अर्थव्यवस्था और शहर की अमीर–गरीब तबके के बीच के संबंधों से जुड़े सवालों को उठाता है। यह एक बेहद महत्वपूर्ण मामला है; वर्तमान में एक खास सोच वाली पुलिस व्यवस्था, झुग्गियों में हिंसा के मामले में ढुलमुल रवैया अपनाती है और ऐसा जान पड़ता है कि इस संबंध में पुलिस की सोच पहले से चली आ रही है जो नकारात्मक सोच को दर्शाता है।

अंतिम नीतिगत सुझाव जमीन के स्वामित्व को नियमित करने, उसके स्वामित्व की अवधि को निर्धारित करने और नीतियों को लागू करने का है। यह निश्चित रूप से, राजनीतिक तौर पर एक जटिल प्रक्रिया है और इसे शहरी जमीन वितरण के व्यापक प्रणाली से जोड़ा जाना है। यह प्रक्रिया शहर के विस्तृत राजनीतिक अर्थव्यवस्था से भी जुड़ी है, जो पटना को वैधानिक तौर पर संगठित और बेहतर शहर बनाने के लिए यह अनिवार्य है। बिहार के कृषि योग्य भूमि से संबंधित सुधार, इस कार्य के लिए उपयुक्त मार्गदर्शक हो सकता है कि इस सुधार के रास्ते आने वाली राजनीतिक बाधाओं को किस प्रकार दूर किया जा सकता है।

5.0 संदर्भ

एबर्स. आर. (1998) ''फ्राम क्लाइन्टलिज्म टू कॉपरेशनः लोकल गवर्नमेंट पॉर्टिसिपेटरी पॉलिसी एंड सिविक ऑरगनाईजिंग इन पोर्तो अलिग्रे ब्राजील'', पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, 26(4):511–37.

ए. सी. एच. आर.(एशियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइटर्स रिपोर्ट (2009)

गवर्नमेंट ऑफ बिहार (2006), सिटी डेवलपमेंट, प्लॉन फॉर पटना, पटना डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट

गवर्नमेंट ऑफ बिहार (2011), इकॉनामिक सर्वे (2010–11) पटनाः फाइनेंस डिपार्टमेंट

ग्लैडवेल, एम. (2000), द टिपिंग प्वाइंटः हाउ लिटिल थिंग्स कैन मेक अ बिग डिफ्रेंस, बॉस्टन; एम. ए. बैक बे ब्रुक्स

लेबॉ. आर. (2010), फॉरबिडन फ्रूटः काउंटर फैक्चुअल्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, प्रिंसटनः प्रिंसटन प्रेस

लोप्स डि सूजा, एम.(2011) ''द ब्राजीलियन वे ऑफ कांकरिंग द राइट टू द सिटिः सक्सेस एंड ऑबसटेकल्स इन द लॉग स्ट्राइड टूवार्डस 'अर्बन रिफार्म''. डी आई एस पी, 147:25–31

6-0 टिप्पणियां

1. इस शोध के संदर्भ में संघर्ष एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है जहॉ किसी व्यक्तियों या समूहों के हित, बेमेल और परस्पर विरोधी होते हैं, लेकिन स्थिति नियंत्रित होती है। वहीं, हिंसा संघर्ष की वास्तविकता को दर्शाता है जहॉ ब्यक्तियों या किसी समूह विशेष के द्वारा दूसरे के हितों की अनदेखी कर, अपने विचारों को दूसरों पर जबरदस्ती लागू करने की कोशिश की जाती हैं।

2. देखें एच. टी. टी. पी.ः / /आर्काइव वनवर्ल्ड डॉट नेट/आर्टिकल/व्यू/91983.

3. ध्यान देने योग्य बात है कि पिछले दो दशकों में पटना में वार्डो की संख्या लागातार बढ़ाई गई है। 1991 में पटना में वार्डो की संख्या 37 थी, 2001 में 42 (मूलतः 37 वार्ड और बढ़ाए गए 5 वार्ड), तत्पश्चात वार्डो की संख्या 2007 में बढ़कर 57 हो गई (नए और पुनर्गठित), 2011 के बाद अब वार्डो की संख्या 72 है (एक बार पुनः 57 वार्डो की अपेक्षा नए और पुनर्गठित वार्डो को शामिल करके)।

4. इसी दरम्यान, यद्यपि शोध में शामिल लोगों ने पुलिस के ब्यवहार को असंतोश जनक बताया और स्थानीय स्तर पर छोटे–मोटे ब्यापार में उगाही का आरोप लगाया, लेकिन यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि किसी भी व्यक्ति ने पुलिस के बर्बरता की शिकायत नहीं की, जो बिहार के दूसरे हिस्सों में आम है। (देखे ए. सी. एच. आर., 2009) और वहॉ पुलिस का भय है।

5. देखें एच. टी. टी. पी.ः / /पटना डेली डॉट कॉम/इंडेक्स पी. एच. पी. /न्यूज/6660–नीतीश–स्पीक्स–ऑफ–इल्स–ऑफ–अल्कोहल–कन्जंपशन डॉट एच. टी. एम.

यह नीतिगत ब्योरा डेनिस रोजर्स और शिवानी सतीजा द्वारा तैयार किया गया है जो क्रमशः ''ब्रुक्स वर्ल्ड पोवर्टी इंस्टीच्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर; (ब्रिटेन) के शीनियर रिसर्च फैलो और इंस्टीच्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट (नई दिल्ली, भारत)'' के वरीय शीनियर रिसर्च एसोसियेट हैं।

यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर रिसर्च प्रोजेक्ट ''अंडरस्टैंडिंग द टिपिंग प्वाइंट ऑफ अर्बन कनफ्लिक्ट, वायलेंस सिटीज एंड पोवर्टी रिडक्शन इन द डेवलपिंग वर्ल्ड'' को दूसरा इ. एस. आर. सी.–डी. एफ. आइ. डी. के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय विकास पर शोध हेतु अनुदान दिया गया है। पटना का एक उदाहरण के तौर पर अध्ययन, ब्रूक्स वर्ल्ड पोवर्टी इंस्टीच्यूट (वी. डब्लू. पी. आइ.) और इंस्टीच्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।